न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 170/2015

1 मुकेश कुमार उम्र 42 साल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति चेजारा निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 ग्यारसीलाल मृत
1/1 विधा देवी बेवाह ग्यारसीलाल मृत (नाम हजफ)
1/2 राजकुमार पुत्र ग्यारसीलाल
1/3 मनीष कुमार पुत्र ग्यारसीलाल
1/4 संध्या पुत्री ग्यारसीलाल
1/5 उषा पुत्री ग्यारसीलाल
2 गीता देवी बेवाह बृजमोहन
3 मोहित पुत्र बृजमोहन
4 प्रतिभा पुत्री बृजमोहन
5 ललिता मृत (नाम हजफ)
6 रेखा
7 प्रिया पुत्रियां बृजमोहन
8 बाबूलाल
9 शशिकुमार पुत्रगण रामसहाय
10 शशिकला पुत्री रामसहाय
11 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र मृत
11/1 दाखा देवी बेवाह भंवरलाल
11/2 सुरेन्द्र वर्मा दत्तक पुत्र भंवरलाल
12 राजेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद
13 ललिता बेवाह संजयकुमार
14 भावेश पुत्र संजय कुमार
15 धनुजा उम्र 7 साल पुत्री संजय कुमार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दोनो नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता ललिता बेवा राजकुमार समस्त जाति चेजारा निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
16 उप पंजीयक महोदय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
17 तहसीलदार महोदय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
18 गायत्री देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील वि.नि. व डिक्री दिनांक 21.07.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उनवानी प्रकरण मुकेश कुमार बनाम ग्यारसीलाल
आदि मु.नं. 164/2005 दावा उद्घोषणा एवं स्थायी
निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :
1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 164/2005 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1206, 1207 वके ग्राम पचार का पेश किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने दावा अबैटमेंट के आधार पर अबैट कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलान्ट के साम्पतिक अधिकार निहित है उक्त वाद में यदि प्रतिवादीगण में से यदि एक–दो कि मृत्यु हो जाती है, तो सम्पूर्ण वाद कतई कानूनन अबैट नहीं किया जा सकता, मृतक तक ही अबैट किए जाने का कानूनी प्रावधान है ऐसा नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री जैर अपील में अंकित किया है कि न्यायालय अपर जिला जज महोदय द्वितीय सीकर में आवेदन कायम मुकाम मृतक प्रतिवादी संख्या 2 बृजमोहन व संजय कुमार का वादी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है सर्वथा गलत कथन अपने निर्णय व डिक्री जैर अपील के पैरा संख्या 4 में वर्णित किया है, माननीय न्यायालय अपर जिला जज महोदय द्वितीय सीकर के यहां दावा भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है व उक्त भंवरलाल ने ही आवेदन कायम मुकाम प्रस्तुत किया है, जिसमें वादी की कोई भूमिका नहीं रही न ही वादी/अपीलान्ट ने आवेदन प्रस्तुत किया न ही जवाब कायम मुकाम प्रस्तुत किया, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी/प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत श्रीमान ए.डी.जे. द्वितीय सीकर के आवेदन कायम मुकाम को पढे व देखे बिना ही अपनी कल्पना व क्यास के आधार पर ही अपना निर्णय व डिक्र जैर अपील पारित करने में गलती की है। अपीलान्ट/वादी पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से सिर में ब्रेन ब्लाकेज की शिकायत से पिड़ित है व डॉक्टर शैलेश दीक्षित न्योरोलोजिस्ट से जैर इलाज है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कह रखा था कि जब आवश्यकता होगी बुला लेगें, लेकिन अपीलान्ट को उसके अधिवक्ता का कोई समाचार नहीं मिला व अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कानूनी बारिकियों को नहीं समझता अवधि भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में अपीलान्ट की मजबूरी रही, उक्त स्थिति को समझे बिना ही विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को नहीं समझा कि यदि मृतक के अलावा अन्य पक्षकार भी है तो उनके हद तक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद चलने में कोई कानूनी बाधा नहीं होते हुए भी सम्पूर्ण वाद को ही विधि विरूद्ध खारिज करने में गलती की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम पचार की जमाबंदी संवत 2057–60 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1206, 1207 किता 2 कुल रकबा 5.60 है. की खातेदारी रामसहाय पुत्र मनालाल, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति चेजारा सा.देह के नाम खातेदारी थी। रामसहाय की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण सं. 363 दिनांक 05.05.2000 के द्वारा रामसहाय की विरासत ग्यारसीलाल, बृजमोहन, बाबूलाल, शशिकुमार पुत्रगण रामसहाय, शशिकला पुत्री रामसहाय हि.ब. स्वीकार हुआ। वादी द्वारा विवादित भूमि के पैत्रिक होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। वादी द्वारा न्यायालय ए.डी.जे. क्र.सं. 2, सीकर में प्रतिवादी सं. 8 संजय कुमार के कायम मुकाम आवेदन पेश हो चुका है लेकिन विचारण न्यायालय में वकील प्रतिवादी द्वारा आवेदन पेश पेश किये जाने के बावजूद भी आदिनांक कायम मुकाम पेश नही किया गया है। मृतक संजय कुमार वादी का सगा भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार है इसलिए रिकार्डेड खातेदार के कायम मुकाम के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट की ओर से 11 प्रतिवादीगण के विरूद्ध उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु होने पर निर्धारित 60 दिवस में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैट घोषित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलान्ट द्वारा 11 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था। दो प्रतिवादीगण की मृत्यु पर निर्धारित अवधि में कायम मुकाम प्रस्तुत नहीं करने पर विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार मृतक पक्षकारों के विरूद्ध ही अबैटमेंट की घोषणा की जा सकती है। सम्पूर्ण वाद अबैट घोषित नहीं किया जा सकता है। कायम मुकाम के संदर्भ में विचारण न्यायालय को नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनिकी आधार पर नही कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रकरण में सुनवाई कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर